कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 548 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2025.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. Forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttrakhand. (Online Proposal No. FP/UK/SCH/40755/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ऑनलाईन IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 24.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा FRCM बैठक दिनांक 24.06.2025 ऑनलाईन आपत्तियाँ लगाई गयी थी। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 605/12–1 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्न अभिलेख इस कार्यालय प्रस्तुत किये है :–

क्र0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	'Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. Forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun District of Uttrakhand.'	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र परिसर कक्ष सं0–01 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विघालय भवन के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी Expost facto approval प्रस्ताव को प्रयोक्ता द्वारा ऑनलाईन अपलोड किया गया है। **(संलग्नक–1)**
2	The user agency shall also submit a brief note outlining the chronological background history. A fresh proposal must be submitted as per current Rules and Regulations.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करते हुये, प्रस्ताव की पृष्ठ भूमि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, **(संलग्नक–2)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपत्तियों की प्राप्त निराकरण आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से अग्रसारित किया जा रहा है कि उपरोक्त के आलोक में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत 2.41 है0 वन भूमि का केन्द्रीय विघालय, ऋषिकेश के पक्ष में प्रत्यावर्तन के दृष्टिगत Ex-post Facto Approval हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 548 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. प्राचार्या, केन्द्रीय विघालय, ऋषिकेश।

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

फ़ाइल संख्या : IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक: As per E-sign

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24th जून, 2025 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ०आर०सी०एम०) का कार्यवृत्त

MINUTES OF THE FORTNIGHTLY REGIONAL COORDINATION MEETING (FRCM) OF REGIONAL OFFICE, MoEF&CC, DEHRADUN HELD ON 24th June, 2025

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (FRCM) दिनांक 24 June, 2025 को अप्राहन 3:00 बजे श्रीमति नीलिमा शाह (भा०व०से०), सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे-

Sl.No.	Name	Designation
1.	Smt. Neelima Shah, IFS	Assistant Inspector General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
2.	Shri Tarun Sridhara, IFS	DFO, Kedarnath Wildlife Division *(Through VC)*
3.	Shri Ashutosh Singh, IFS	DFO, Pithoragarh
4.	Shri D. S. Martoliya, IFS	DFO, Nandadevi National Park *(Through VC)*
5.	Shri Sarvesh Kumar Dubey, IFS	DFO, Badrinath Forest Division *(Through VC)*

6.	Shri D P Baluni, IFS	DFO, Uttarkashi Forest Division *(Through VC)*
7.	Shri Devendra Pundir, IFS	DFO, Upper Yamuna Forest Division, Barkot *(Through VC)*
8.	Shri K.P.S. Chauhan	SO, Representative of PCCF-cum-Nodal Officer (FCA), Govt. of Uttarakhand
9.	Shri Shankar Rana	Consultant, PMGSY
10.	Representatives of the PMGSY, PWD, NHAI, BRO and GREF.	

At the outset, Mrs. Neelima Shah, AIGF, welcomed all participants in the meeting and further forest diversion related matters/ proposals as desired/ proposed by the State Government/ Project Proponents/ User Agencies were discussed in the meeting:

Agenda Item No. 01

Proposal for renewal of lease of 2.41 ha forest land for Kendriya Vidhyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh, Uttarakhand within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun District of Uttarakhand (File no. FP/UK/SCH/ 40755/2019).

The proposal was discussed with the User Agency and the DFO, Dehradun Forest Division. The user agency gave the following information on KVS, Rishikesh, IDPL:

1. The DFO, Dehradun submitted that total 799 ha of forest land was granted to IDPL on lease before 1980.
2. The school was established in year 1978 (as per the submitted school register) as a project school to facilitate the educational needs of wards of IDPL employees in the campus of IDPL.
3. At that time maintenance and financial responsibilities were initially managed by IDPL.
4. In the year 2000, due to financial issue, the IDPL was unable to provide maintenance and financial responsibilities due to which school was closed down.

5. Again, on a lot of public and local administration demand, the school was reopened in the year 2003.
6. The Principal (KVS) submitted the original admission register from 1978 as proof of historical presence, but no lease deed/certificate or land transfer documents or any kind of request letter for opening of KVS from IDPL were available with the user agency.
7. The DFO Dehradun clarified that the original lease was granted to IDPL for 50 years of 799 ha forest area. After expiry of lease given to IDPL, about 500 ha area has been received by Forest Department. Remaining area has been encroached by employees/villagers and the said area is under sub-judice.
8. The KVS and other institutions (such as the Income Tax office and an Inter College etc) are also falls in the said encroached area.
9. The Principal (KVS) submitted that after several meetings with forest officials (CF, DFO and RFO), no supporting documents have been found due to their unavailability.
10. The Principal (KVS) also mentioned that school maintenance is currently overseen by the SDM (Sadar).
11. Currently, the IDPL lease has been expired in year 2021 and the KVS, Rishikesh submitted a renewal of lease proposal in 2019 before expiry of the IDPL lease.

After detailed discussion, it was found that the User agency has no any previous lease documents nor any kind of request letter from IDPL for opening of KVS but it is observed that the school is running since 1978. The user agency is instructed to change the proposal title from "Renewal" to "Post-facto-approval for diversion" in all relevant documents and Parivesh portal. The User Agency shall also submit a brief note outlining the chronological background history. A fresh proposal must be submitted as per current Rules and Regulations.

<u>Agenda Item No. 02</u>

Diversion of 4.879 ha of Forest Land for Construction of road from Village

Margaon-Jaspur-Chamiyari to Ulan motor road in distt Uttarkashi block Chinyalisaur in favour of PWD within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, Dehradun District of Uttarakhand. (File no. FP/UK/ROAD/20224/2016).

The proposal was discussed with the concerned user agency, who were present in person. The user agency informed that they have submitted the revised amount of Net Present Value (NPV); however, they have not yet received Stage-II clearance.

*After detailed discussion, it was observed that the User Agency has deposited additional/revised amount of NPV in CAMPA fund but the same reflects as **UNPAID** on Parivesh portal. Therefore, the User Agency shall deposit the additional/revised amount of NPV in CAMPA fund and ensure that the same reflects as **PAID** on Parivesh portal.*

Agenda Item No. 03

Diversion of 17.72 ha of Forest Land for construction of Tarai and Chakpheri feeder canals under Jamrani Dam Multipurpose Project in favour of Irrigation Department within the jurisdiction of Haldwani Forest Division, in Nainital District of Uttarakhand. (File no. FP/UK/Canal/ 498497/2024).

The proposal was discussed with the concerned user agency, who joined the meeting via video conference (VC). The user agency informed that the Haripura canal was constructed prior 1980. Further, the user agency and the DFO concerned gave the following details regarding the project:

1. The Jamrani Dam is a Multipurpose Project and proposed on the Gola River in Nainital district. The Jamrani Dam was constructed prior to 1980 alongwith Haripura canal. The said land has been transferred to Irrigation Department prior to 1980.
2. Due to some reasons, the water supply was not carried out in Haripura canal till.
3. In between the period, there is many of natural trees grown in the canal area and this time total number of trees are 3881. Out of this, the Irrigation Department seeking approval for felling of 2567 numbers of trees from State Forest Department.

4. The User Agency also submitted that the 351.55 ha of forest land is already diverted to User Agency on 16.01.2023 by MoEF&CC, New Delhi.

The User Agency requested that the tree felling in the canal area is necessary to start water flow in canal.

After detailed discussion, the Regional Office, MoEF&CC observed that the proposal does not involve any kind of diversion of forest land and involves only felling of trees. Thereafter, the user agency was advised to submit the proposal to State Forest Department, for further consideration and necessary approval.

The meeting ended with a vote of thanks.

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 01-07-2025
16:10:39

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

<u>वितरण:</u>

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून ।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone & Fax 0135-2658294, E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 605 / 12–1 दिनांक 25 अगस्त, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand. (Online No-FP/UK/SCH/40755/2019)

संदर्भः– आपका पत्रांक–51 / 1 जी–5095 (रा०रा०प्रा०) दिनांक 09.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रभागीय वनाधिकरी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 842 / 12–1 दिनांक– 21 / 08 / 2025 से दिनांक 24.06.2025 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय (Fortnightly regional coordination meeting) बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार, प्रयोक्ता एजेंसी को प्रस्ताव का शीर्षक "Renewal" से "post facto approval for diversion" में परिवर्तन करने तथा प्रकरण के सम्बन्ध में Chronological Background History से सम्बन्धित एक Brief Note प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशो के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का शीर्षक ऑनलाईन पोर्टल पर निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया गया हैः–

"Ex-post facto approval for diversion of 2-41 ha- forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand"

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त निम्न अभिलेख इस कार्यालय प्रस्तुत किये हैः–

संलग्नक–1 देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई०डी०पी०एल० वीरभद्र परिसर कक्ष सं०–01 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय भवन का नवीनीकरण हेतु वर्तमान भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु Ex post facto appraisal for diversion हेतु प्रतिवेदन।

संलग्नक–2 केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न किये जा रहें है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

वन संरक्षण निदेशालय, देहरादून
1257
127
29-8-25

पत्रांक– 605 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रभारी देहरादून
आ० का० केर।
26-8-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 842 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 21 / 08 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand. (Online No-FP/UK/SCH/40755/2019)**

संदर्भ :- कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–51 / 1जी–5095(रा0रा0प्रा0) दिनांक 09.07.2025

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा दिनांक 24.06.2025 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय (Fortnightly regional coordination meeting) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को प्रस्ताव का शीर्षक "Renewal" से "**post facto approval for diversion**" में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रकरण में Cronological Background History के सम्बन्ध में एक Brief Note प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रस्ताव का शीर्षक ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार, संशोधन कर निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया गया है :–

"**Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand.**"

साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नवत् संलग्नक इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं जो कि संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

संलग्नक–1 देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र परिसर कक्ष सं0–01 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय भवन का नवीनीकरण हेतु वर्तमान भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु Ex post facto appraisal for diversion हेतु प्रतिवेदन।

संलग्नक–2 केद्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0.....
रजिस्टर सं0.....
दिनांक.....

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :– /12–1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Annexure –I

परियोजना का नाम:- देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत ऋषिकेश के IDPL(वीरभद्र) परिसर कक्ष सं १ में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वर्तमान भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु पश्चात् स्वीकृति (Ex Post facto appraisal for diversion of present land) वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव

प्रतिवेदन

1. **भूमिका :-** केन्द्रीय विद्यालय भारतमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस की शुरुआत 1965 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। इस समय भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1,128 अथवा इस से अधिक है। इस के अतिरिक्त विदेश में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित स्वायत्त संस्था केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है।

   केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश इसी संगठन का अंग है जो ऋषिकेश में वर्ष 1978 से समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है| प्रारंभ मे यह IDPL(वीरभद्र) द्वारा संचालित था परन्तु IDPL (वीरभद्र) के अनुरोध पर वर्ष 2001 में इसे बंद कर दिया गया | बाद में यह विद्यालय वर्ष 2003-2004 में सिविल सेक्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रयोजन पर पुनः खोला गया तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है जिसका व्यय केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जायेगा |

   केंद्रीय विद्यालय के उदेश्य:- केन्द्रीय विद्यालयों के प्रमुख चार मिशन इस प्रकार हैं -

   I. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक अवश्यकताओं को पूरा करना।
   II. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना।
   III. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना।
   IV. बच्चों में राष्ट्रीय एकता और 'भारतीयता' की भावना का विकास करना।

2. **योजना / प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण :-** ये योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन , (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) द्वारा संचालित कीजा रही है | माननीय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के पत्र दिनांक के आधार पर केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि उपलब्ध कराने की बात राज्य सरकार को लिखी गयी है | समस्त राज्यों में केंद्रीय विद्यालय

हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है | इस परियोजना की भूमि को IDPL (वीरभद्र) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी किया गया है |

3. **योजना / प्रस्ताव का उद्देश्य** :- इस प्रस्ताव का उद्देश्य देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के**IDPL** (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय के पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तांतरण है ताकि नव भवन का निर्माण पूरी सुविधा एवं नव –मानकों के अनुरूप किया जा सके | इस विद्यालय में लगभग ११०० बच्चे अध्ययनरत हैं जिनमें सैन्य एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चे ज्यादा संख्या मेंहैं (प्रवेश दिशानिर्देश संलग्न है) | इन परिवारों के बच्चों के लिए यह विद्यालय एक वरदान है | केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण के बाद संगठन के द्वारा इसमें नव भवन का निर्माण किया जाएगा एवं विद्यालय अपनी पूर्ण सुविधाओं के साथ जनता को समर्पित हो जाएगा |

4. **वित्तीय व्यवस्था/ योजना का बजट :-** इस परियोजना का बजट केंद्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) के नियमों के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही प्रदान किया जायेगा|

5. **समस्यायें जिनका समाधान होगा :-** इस भूमि के हस्तांतरण से केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा एवं वर्तमान विद्यार्थियों को पूर्ण गुणवक्ता युक्त नव विद्यालय भवन का लाभ मिल पायेगा साथ ही साथ भविष्य में अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा |

6. **योजना / परियोजना का औचित्य / सस्टेनेबिलिटी** :- केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश वर्ष 1978 से निरंतर वीरभद्र , ऋषिकेश एवं आसपास के समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है | केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण होने से न केवल वर्तमान के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि ऋषिकेश एवं इसके आस पास के क्षेत्र में एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने में मदद मिलेगी एवं भविष्य में हजारों परिवारों के लिए एक सरल, सुगम एवं उचित दर पर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी|

7. **विद्यालय की वर्तमान स्थिति :-** वर्तमान में विद्यालय, IDPL (वीरभद्र) ऋषिकेश के द्वारा प्रदत्त भवन में चल रहा है, जिसका नव निर्माण किया जाना आवश्यक है परन्तु इस पर नव निर्माण कार्य करना नियमों के अधीन संभव नहीं है | वर्ष 2010 से 2016 के बीच विद्यालय भवन सुरक्षित न होने के कारण बंद होने की स्थिति में आ गया था परन्तु विद्यालय की प्राचार्या एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भवन की मरम्मत संभव हुई और विद्यालय बंद होने की स्थिति से उबर पाया | माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल की सांसद निधि से भवन की छत का मरम्मत कार्य किया गया एवं माननीय विधायक एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा विद्यालय की आंतरिक मरम्मत करवाई गई |

8. **भूमि की उपलब्धता की स्थिति :-** वर्तमान भूमि देहरादून वन प्रभाग के वीरभद्र के कक्ष संख्या 1 के अंतर्गत आती है और इसके लिए IDPL (वीरभद्र) ऋषिकेश के द्वारा वन विभाग को केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है | वर्तमान भूमि का संयुक्त प्रारम्भिक सर्वेक्षण वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया | वर्तमान विद्यालय भूमि 2.41 हे० की है एवं इसके चारों तरफ से 5 फीट की बाउंड्री वॉल का घेराव है तथा इसमें 116 पेड़ मिश्रित प्रजाति के हैं जिनका **पातन नहीं** किया जाना है | केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमो के अनुसार विद्यालय भूमि के लिए कम कम 2.1 हे० (लगभग 5 एकड़) की आवश्यकताहै बाकी के बचे हुए भूमि पर ग्रीन बेल्ट , कम्पोजिट पिट , औषधि बाग़ का निर्माण किया जायेगा |

9. **रोजगार की संभावना :-** नव भवन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 700 दिनों तक 200 कुशल /अर्ध कुशल लोगों को रोजगार मिलेगा |

उर्मिला

प्रयोक्ता एजेंसी

केन्द्रीयविद्यालयऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 – 2973317
वेबसाईट/Website: https://rishikesh.kvs.ac.in
ईमेल/Email: kvrishikesh.ppl@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F-1392350/2025-26/KVR दिनांक: 23 जुलाई, 2025

ANNEXURE-II

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं।

- महोदय, आपको इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट विद्यालय के रूप में हुई थी जिसका संचालन आई.डी.पी. एल के द्वारा हो रहा था। परन्तु बाद में आई.डी.पी.एल ने वर्ष 1996 में प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्याओं के कारण विद्यालय को प्रोजेक्ट क्षेत्र से परिवर्तित कर सिविल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तान्तरित करने हेतु पत्राचार की प्रक्रिया शुरु कर दी थी। (पत्र संलग्न है।)

- भूमि हस्तांतरण संबंधी सहमति न बनने के कारण विद्यालय को वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया था। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश से केन्द्रीय विद्यालय रायवाला स्थानान्तरित कर दिया गया था। परन्तु बाद में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं मानवसंसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इस विद्यालय का सिविल विद्यालय के रूप में दिनांक-29/03/2003 को आई.डी.पी.एल. कैम्पस ऋषिकेश में पुनः संचालन आरम्भ कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)

- वर्ष 2003 में आई.डी.पी. एल के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विद्यालय भूमि, भवन एवं स्टॉफ क्वार्टर सौंपने के संबंध में CPWD के मानकों के अनुसार एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसके अनुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को 21 स्टॉफ क्वार्टर और विद्यालय भूमि भवन को हस्तांतरित करने के विषय में उल्लेख किया गया था। मसौदे के अनुसार 21 स्टॉफ क्वार्टर आवंटित करने पर सहमति बन गई थी परन्तु विद्यालय भूमि-भवन के हंस्तान्तरण पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं आई.डी.पी.एल के मध्य सहमति नहीं बन पाई थी। (पत्र संलग्न है।)
- सहमति न बनने का कारण यह था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार विद्यालय हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध होनी चाहिए थी। जिसका उल्लेख आई.डी.पी. एल. के द्वारा तैयार किए गए मसौदे में नहीं था।
- आई.डी.पी.एल. अधिकारियों के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को यह सुझाव दिया गया कि निःशुल्क भूमि की उपलब्धता हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से अनुमति हेतु पत्राचार करें। केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु उक्त मंत्रालय से पत्राचार किया गया।

- दिनांक 17/03/2015 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)

- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश भी एक शैक्षणिक संस्थान है जिससे सामाजिक हित जुड़ा हुआ है अतः उक्त तथ्य को आधार मानकर विद्यालय को भूमि हंस्तातरित किए जाने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।

- महोदय, केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। जो कि, कम शुल्क में उच्चगुणवत्तायुक्त तथा सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस विद्यालय में वर्तमान में 1100 के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं और यह विद्यालय वन विभाग की भूमि पर स्थित है। विद्यालय का संचालन न होने पर इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक सकता है।

- महोदय, भूमि आवंटित न होने के कारण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ नहीं की जा रही है।

- महोदय, विद्यालय-भूमि वन-विभाग की होने के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं विद्यार्थियों के हितार्थ विविध शैक्षणिक सुविधाओं के कार्यों पर खर्च नहीं कर पा रहा है।

- महोदय, उपरोक्त विषय से संबंधित सभी दस्तावेजों को पुनः आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर भावपूर्ण एवं सकारात्मक चिन्तन कर छात्रों के भविष्य, परिवारों की चिन्ता, क्षेत्र की प्रगति, विभाग एवं प्रशासन की गरिमामयी प्रतिष्ठा तथा वर्तमान सरकार की लोकहितैषिणी छवि को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को वन-विभाग से केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें।

उर्मिला

(श्रीमती उर्मिला)
प्राचार्या

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion c fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UK/SCH/40755/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : KV IDPL Rishikesh was establish in the year 1978 to cater to the educational needs of wards of IDPL employees. In the year 2000, when IDPL expressed its inability to meet the financial burden, the school was closed down. Again on a lot of public demand, the KV was reopened in 2003 as a Civil Sector.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Proposal : School

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 1000

(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 2.41

(ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 0

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL

A-2. Details of User Agency

(i). Name : KV RISHIKESH

(ii). Address1 : Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh, Uttarakhand

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Dehradun

(vi). Pin : 249202

(vii). Landmark : IDPL Virbhadra

(viii). Email address : ppl.rishikesh@kvs.gov.in

(ix). Landline Telephone No. : 135-2455063

(x). Fax No. : 135-

(xi). Mobile No. : 7589303611

(xii). Website (if any) : https://rishikesh.kvs.ac.in

(xiii). Legal status of User Agency : Central Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Sudha

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Gupta

(iv). Gender: Female

(v). Designation: Principal

(vi). Address 1: Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh, Uttarakhand

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Dehradun

(x). Tehsil: Rishikesh

(xi). Pin: 249202

(xii). Landmark: IDPL Virbhadra

(xiii). Email Address: gupta.sudha.pgt@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 135-2455063

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 7589303611

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Dehradun	2.41	0
Total		2.41	0

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Dehradun	2.41	0
Total		2.41	0

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Bapugram	2.41	0
Total		**2.41**	**0**

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	School Building	2.41	0
Total		**2.41**	**0**

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Dehradun

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.41

(ii). Nature of the Project: Non Linear

(a). No. of patches : One

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of PatchesTo view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.
1.	2.41	View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Map

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 0

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 1600

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	**Documents**	**Remarks**
1		Prativedan
2		Form_A_part_1
3		Office_Memorandum
4		Guide_Lines_for_Kendiya_Vidyalaya
5		NOC_From_IDPL
6		Authority_Letter
7		Joint_inspection_Report
8		Land_Schedule
9		Bar_Chart
10		Trees_to_be_felled
11		No_tree_felling_involve
12		Benefited_Population
13		FRA_2006
14		Geologist_Report
15		Undertaking_reg_Geologist_Report
16		No-Historical_Place
17		Certi_reg_Wild_Life
18		No-Historical_Place
19		Certi_reg_Muck_Disposal
20		Work_not_started
21		Undertaking_Increased_NPV
22		Certi_reg_Finan_Admin_Sanction
23		Boundary_Demarcation_Estimate

24		CA_Land_suitability_certi
25		NPV_Calculaion
26		CA_Estimate
27		CA_Cost_Payment_Undertaking
28		Index
29		Justification_alternate_land_EDS
30		EDS_reg-Distance_from_ park_by_ IT_cell
31		NOC of CWLW
32		No_Alternative_Land_minimum_Land_1
33		Details of documents executed between Kendriya Vidhyalaya and IDPL
34		Compliance of EDS dated 24-03-2021
35		EDS Reply
36		EDS reply
37		Compliance of EDS dated 21-07-2022 by DFO, Dehradun
38		विद्यालय भवन हेतु 2.41 है0 लीज भूमि को खाली न करवाने के हेतु
39		Draft Agreement
40		Admission in year 1979
41		MAP of K V Rishikesh
42		copy of admission register in year 1978
43		Ex Post facto approval for diversion of present land
44		Land Application

Print